राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2275/2010/श्रीगंगानगर.
2. अपील संख्या – 2276/2010/श्रीगंगानगर.

मैसर्स श्रीगंगानगर सिटी बाईक्स,
77/3, पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एन. एस. राठौड़,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06/03/2014

निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 305 व 306/आरवेट/श्रीगंगा/08–09 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 8.7.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 व 2008–09 के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 23.12.2008 की पुष्टि की है।

इन दोनों प्रकरणों में पक्षकार व विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 19.11.2008 को किये जाने पर पाया गया कि व्यवसायी द्वारा इलेक्ट्रिक बाईक (बैटरी इन्वर्टेड पद्धति से संचालित) का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया जा रहा है, जबकि उक्त माल 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तदनुसार एवं करापवंचन की मंशा से माल का विक्रय किया जाना मानते हुए धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

लगातार.....2

अपील संख्या	अवधि	कुल बिक्री	अन्तर कर	ब्याज	शास्ति
2275/2010	2007—08	81,154	6,898	2,119	13,796
2276/2010	2008—09	15,89,675	1,35,122	12,987	2,70,244

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.7.2010 से अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विक्रय किया जा रहा आईटम बैटरी ऑपरेटेड टू व्हीलर/इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो वेट शिडयूल 4 की प्रविष्टि संख्या 164 पोल्यूशन कन्ट्रोल इक्विपमेन्ट एण्ड पार्ट्स की श्रेणी में होने के कारण 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अग्रिम कथन किया कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स राजस्थान वेट अधिनियम के शिडयूल IV की प्रविष्टि संख्या 113 में आता है। इसलिये अपीलार्थी द्वारा 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) Central Board of Direct Taxes की अधिसूचना दिनांक 28.02.2005 की प्रविष्टि संख्या 13(ओ) व रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की अधिसूचना का हवाला देते हुए आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को अविधिक बताया। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस दिये जाने पर स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बतायी गयी स्थिति को नजरन्दाज कर वेट, ब्याज एवं शास्ति आरोपित कर दी गई, जो उचित नहीं है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (वेट एण्ड आई.टी.) के निर्णय दिनांक 27.10.2009 की छाया प्रति प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अतिरिक्त आयुक्त (वेट एण्ड आई.टी.) द्वारा विवादित माल पर कर दर 4 प्रतिशत मान ली गई है। अतः जब विभाग द्वारा 4 प्रतिशत की कर दर मान ली गई है तो कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश अपास्त योग्य हो जाते हैं। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा **अपील संख्या 672/2009/अजमेर मैसर्स एगिस मैनपावर सर्विस प्रा0 लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी में पारित निर्णय दिनांक 3.5.2010 एवं अपील संख्या 2044—2045/2010/उदयपुर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उदयपुर बनाम मैसर्स आदित्य एन्टरप्राईजेज, उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2011** का हवाला देते हुए अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.....3

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अतिरिक्त आयुक्त (विधि) वाणिज्यिक कर, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.5 (सी) (73) कर दर/विधि/सीसीटी/11313 दिनांक 12.8.2008 द्वारा मैसर्स आदित्य एन्टरप्राइजेज, उदयपुर के निर्णय में यह प्रतिपादित किया गया है कि Yo Bike (Motor Cycle / Battery Operated Vehicles) सामान्य दर से कर योग्य है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किया जा रहा आईटम भी Yo Bike की तरह बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल होने के कारण इसी श्रेणी में आता है। अतः 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी की जानकारी में था कि उसके द्वारा विक्रय किया जा आईटम 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है, फिर भी उसके द्वारा 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया, जो करापवंचन की श्रेणी में आता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को यथावत रखा गया है जो उचित है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। इन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों की बैट्री ऑपरेटेड मोटर व्हीकल्स की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर व ब्याज का आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त करारोपण आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से अस्वीकार की गई है।

रेकॉर्ड पर उपलब्ध अतिरिक्त आयुक्त (वैट एण्ड आई.टी.) के वेट अधिनियम की धारा 36 में पारित विनिश्चय दिनांक 27.10.2009 में बैट्री/विद्युत संचालित बाईक (सिटी बाईक) को वेट अधिनियम की अनुसूची IV के मद संख्या 113 की प्रविष्टि Renewable Energy Devices & Spare Parts thereof" में कवर्ड होना मानते हुए इस पर 4 प्रतिशत की दर से कर उद्ग्रहीत होना अवधारित किया गया है। अतः अतिरिक्त आयुक्त (वेट व आई.टी.) के उक्त विनिश्चयन के पश्चात यह निर्विवादित हो जाता है कि विवादित माल पर 4 प्रतिशत की दर से ही कर वसूलनीय है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर दर मानते हुए 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तदनुसार ब्याज एवं करापवंचन की मंशा मानते हुए धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि किये जाने में भी विधिक त्रुटि की गयी है।

लगातार.....4

माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा भी **अपील संख्या 672/2009/अजमेर में पारित निर्णय दिनांक 3.5.2010 एवं अपील संख्या 2044—2045/2010/उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2011** में भी इलेक्ट्रिक बाईक/बैटरी ऑपरेटेड बाईक पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होना अवधारित किया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं तथा अपीलीय आदेश दिनांक 8.7.2010 एवं पृथक—पृथक पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.12.2008 अपास्त किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

6.3.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
6/03/14